

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(मारत सरकार का सदाम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

दिनांक: 23.06.2023

प.क्षे.-II/ लोक सूचना/2023/116/ - 878

सेवा में, श्रीमती अल्पना जैन, फ्लेट नंबर-502, हिंतावाला टॉवर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान.)—313001,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में।

महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा दिनांक 03/06/2023 को प्रेषित पत्र, हमारे पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय में दिनांक 08/06/2023 को तथा दूसरा पत्र हमारे इटारसी कार्यालय के माध्यम से दिनांक 19/06/2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी से संबंधित जवाब इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हें। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलीय अधिकारी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2 प्लॉट नं.-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड, वडोदरा — 390 008 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,

(पंकज दलाल) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पश्चिम क्षेत्र — II, वडोदरा

संलग्नः - यथोपरि,

प्रतिलिपि: -

- कार्यपालक निदेशक (प्.क्षे-.II), वड़ोदरा सादर सूचनार्थ
- 2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सर्तर्कता), प.क्षे.-॥
- 3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-॥





POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

आपके द्वारा दिनांक 03/06/2023 को प्रेषित पत्र (आरटीआई) संख्या PGCIL/WRTS-II/2023/116) जिसमें श्री हिमांशु चोरडिया के पावरग्रिड पश्चिमी क्षेत्र-2 के इटारसी तथा क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय में कार्यकाल के दौरान एलटीसी सुविधा से संबंधित चाही गयी जानकारी का उत्तर इस प्रकार है:-

क्र.	आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
1	Amount claimed as LTC	The information sought by
2	Destination	relationship to any public activity
3	Block years for which claims were made	Hence this information can not be provided. This is as per Section 8(1)(j) of RTI Act 2005.
ļ	Number of person for whom the claim was made	() () () () () () () () () ()
	Dates of filling the claim	
	Advance taken if any	
	The number of home town/all India LTCs availed	
1	Number of family members excluding names of the family members.	

(पंकज दलाल) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

पश्चिम क्षेत्र — II, वडोदरा

(6)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अ

नियम 2005

- कार्यालय का नाम— कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र—ं।) पावर ग्रिंड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने, समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड़— 390008
- 2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता— कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र—ं।।) पावर ग्रिंड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने, समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड— 390008
- 3 आवेदक / प्रार्थीया का नाम व पता— अल्पना जैन पत्नी श्री अनिल जैन पत्र व्यवहार का पता— फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001
- 4 दूरभाष–
- 5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक— 03.06.2023
- 6 आवेदन पत्र शुल्क- 10/-रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर <u>60F 165908</u>
- 7 चाही गयी जानकारी / प्रमाणित प्रतिलिपी का विवरण-
- ए— यह कि पावर ग्रिंड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड वडोदरा में हिमांशु चोरडिया के पोस्टिंग से लेकर रिलीव होने तक की अवधि में ली गई एलटीसी सुविधा से संबंधित निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सूचना उपलब्ध करावे— (Jane 2014)

amounts claimed as LTC /

Destination

Block years for which claims were made number of persons for whom the claim was made,

Page 1 of 2

Afathirt Divalsions

lepais

dates of filing the claim

advance taken if any

the number of home town / All india LTCs availed

number of family members excluding names of the family members

- यह कि सुलभ संदर्भ हेतु इस आवेदन के संबंध में प्रदत्त जवाब पर आवेदन की दिनांक व आईपीओ नम्बर का अवश्यक उल्लेख करे।
- 9 यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2— (ञ) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने योग्य सूचना का अधिकार अभिप्रेत है, जिसे किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रण के अधीन धारित किया जाता है और इसमें निम्न के लिए अधिकार शामिल होता है—
 - (i) xxx
 - (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उदध्ररण या प्रमाणित प्रतियां लेना,
 - (iii) xxx,
 - (iv) xxx

आवेदक द्वारा प्रमाणित प्रति मांगी गई है। इस कारण आवेदक को प्रमाणित प्रति दी जाना आवश्यक है। प्रमाणित प्रतियाँ के रूप में प्रदत्त दस्तावेज पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरित व दिनांकित किया जावेगा, नाम पदनाम की मोहर लगायी जायेगी एवं प्रमाणित शुद्ध प्रति की मोहर भी लगायी जायेगी तथा प्रदत्त दस्तावेजों के शुद्ध प्रति होने का लिखित प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ जारी करने से संबंधित तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में अवलोकन किया जा सकता है।

- 10 चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।
- यह कि आवेदक उक्त सूचना प्राप्त करने की अधिकारी है जिसके समर्थन में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा Mr. M.A. Khan vs CPIO & Sr. Superntendent of post में दिनांक 26.11.2013 को पारित निर्णय की प्रति तथा माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा Ms. Prathiba Sharma vs Miniustry of Road Transport and Highways में दिनांक 01.12.2017 को पारित निर्णय की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित की जा रही है।

Albara.

CENTRAL INFORMATION COMMISSION Club Building (Near Post Office) Old JNU Campus, New Delhi - 110067

Tel: +91-11-26101592

File No. CIC/BS/A/2012/001880/4009 26 November 2013

Relevant Facts emerging from the Appeal:

Appellant

Mr. M. A. Khan 5-Peer Wali Gali, Kamela Colony,

Saharanpur-247001

Respondent

CPIO & Sr. Superintendent of Post Offices

Department of Posts Saharanpur Division. Saharanpur-247001

RTI application filed on

17/08/2012

PIO replied on

28/08/2012 & 05/09/2012

First appeal filed on First Appellate Authority order

30/09/2012 25/10/2012

Second Appeal received on

14/11/2012

Information sought:

1- Provide following information with respect to LTC availed by Mr. Kanchan Singh, Postal Assistant, Saharanpur HPO during his service period:

(a) During his complete service when and how many times LTC was claimed and payment

(b) How much payment was made to him each time?

(c) Copy of LTC bill along with copies of Rail/Bus tickets.

2- Copy of service book alongwith all enclosures of Mr. Kanchan Singh.

Grounds for the Second Appeal:

The PIO has refused the information under section 8(1)(j) of the RTI Act.

Relevant Facts emerging during Hearing:

The following were present

Appellant: Mr. R.R. Dhiman appellant's representative through VC Respondent: Mr. Harendra Singh CPIO's representative through VC

The appellant's representative stated that the information requested in the RTI application dated 17/08/2012 relating to the LTC claim(s) of Mr. Kanchan Singh has not been provided. The CPIO's representative stated that the information relates to a third party and they had carried out the process as laid down under Section 11 of the RTI Act but the employee has refused to give his consent and hence exemption has been claimed under Section 8(1)(j) of the RTI Act.

Decision notice:

The Commission in the past has held that most transactions in tax payer's money such as salary and wages, allowances and financial benefits such as LTC etc. are in public domain for the reasons that they involve transactions in public funds.


Accordingly, the details about the amounts claimed as LTC, destination, block years for which claims were made, number of persons for whom the claim was made, dates of filing the claim, advance taken if any should be provided to the appellant within 30 days from the date of receipt of this order. However, the other personal details such as the names of family members, their age etc. are personal information and need not be disclosed.

The appeal is disposed of accordingly.

BASANT SETH Information Commissioner

Authenticated true copy:

(A.K.Jha)
Deputy Secretary and Deputy Registrar



116 A





अन्तःकार्यालयीन ज्ञापन

द्वाराः कनि. अधिकारी (मा.सं.)इटारसी **सेवा में ं महाप्रबंधक** (प्री.ई.एस.एम.) प.क्षे. ११,वडोदरा सन्दर्भः प्र.मु./इटा./मा.सं./हि.२०३५

> प्रतिलिपि :मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.) प.क्षे. । १,वडोदरा र सादर वरि.महाप्रबंधक,इटारसी रसूचनार्थ

दिनांक : 10/06/2023

विषयः- सूचना अधिकार सम्बंधी आवेदन ।

इस पत्र के साथ सूचना अधिकार सम्बंधी आवेदन संलग्न है, जो कि स्वतः स्पष्ट है । पूर्व में इसकी जानकारी मेल के माध्यम से दिनांक 07.01.2022 के द्वारा भेज दी गई थी ।

आपकी जानकारी एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(तेजमल सेन)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

466IOM16-17

उचित् कार्यवाही देवे जिल्ली (9/06/202)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1 कार्यालय का नाम-

Office of Power Grid Corporation India Limited

Village- Pathrota, Itarsi, National Highway 69

District- Haushangabad

(Madhya Pradesh) Pin code- 461111

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता— कार्यपालक निदेशक

Power Grid Corporation India Limited

Village- Pathrota, Itarsi, National Highway 69

District- Haushangabad

(Madhya Pradesh) Pin code- 461111

- अवेदक / प्रार्थीया का नाम व पता—
 अल्पना जैन पत्नी श्री अनिल जैन
 पत्र व्यवहार का पता— फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर
 सेलिबेंशन मॉल के पास, भ्वाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001
- 4 दूरभाष-
- 5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक— 03.06.2023
- 6 आवेदन पत्र शुल्क- 10/-रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 57F 47.6633
- 7 चाही गयी जानकारी / प्रमाणित प्रतिलिपी का विवरण—
- ए— यह कि पावर ग्रिंड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड इटारसी में हिमांशु चोरडिया के पोस्टिंग से लेकर रिलीव होने तक की अवधि में ली गई एलटीसी सुविधा से संबंधित निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सूचना उपलब्ध करावे—

amounts claimed as LTC

Destination

Block years for which claims were made

Page 1 of 2

apais

number of persons for whom the claim was made,

dates of filing the claim

advance taken if any

the number of home town / All india LTCs availed

number of family members excluding names of the family members

- 8 यह कि सुलभ संदर्भ हेतु इस आवेदन के संबंध में प्रदत्त जवाब पर आवेदन की दिनांक व आईपीओ नम्बर का अवश्यक उल्लेख करे।
- 9 यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2— (ञ) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने योग्य सूचना का अधिकार अभिप्रेत है, जिसे किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रण के अधीन धारित किया जाता है और इसमें निम्न के लिए अधिकार शामिल होता है—
 - (i) xxx
 - (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उदधृरण या प्रमाणित प्रतियां लेना,
 - (iii) xxx,
 - (iv) xxx

आवेदक द्वारा प्रमाणित प्रति मांगी गई है। इस कारण आवेदक को प्रमाणित प्रति दी जाना आवश्यक है। प्रमाणित प्रतियाँ के रूप में प्रदत्त दस्तावेज पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरित व दिनांकित किया जावेगा, नाम पदनाम की मोहर लगायी जायेगी एवं प्रमाणित शुद्ध प्रति की मोहर भी लगायी जायेगी तथा प्रदत्त दस्तावेजों के शुद्ध प्रति होने का लिखित प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ जारी करने से संबंधित तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में अवलोकन किया जा सकता है।

- 10 चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।
- 11 यह कि आवेदक उक्त सूचना प्राप्त करने की अधिकारी है जिसके समर्थन में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा Mr. M.A. Khan vs CPIO & Sr. Superntendent of post में दिनांक 26.11.2013 को पारित निर्णय की प्रति तथा माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा Ms. Prathiba Sharma vs Miniustry of Road Transport and Highways में दिनांक 01.12.2017 को पारित निर्णय की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित की जा रही है।

Mars

CENTRAL INFORMATION COMMISSION Club Building (Near Post Office) Old JNU Campus, New Delhi - 110067

Tel: +91-11-26101592

File No. CIC/BS/A/2012/001880/4009 26 November 2013

Relevant Facts emerging from the Appeal:

Appellant

Mr. M. A. Khan

5-Peer Wali Gali, Kamela Colony, Saharanpur-247001

Respondent

CPIO & Sr. Superintendent of Post Offices

Department of Posts Saharanpur Division, Saharanpur-247001

RTI application filed on

17/08/2012

PIO replied on

28/08/2012 & 05/09/2012

First appeal filed on

First Appellate Authority order

30/09/2012

First Appellate Authority order Second Appeal received on

25/10/2012 14/11/2012

Information sought:

1- Provide following information with respect to LTC availed by Mr. Kanchan Singh, Postal Assistant, Saharanpur HPO during his service period:

(a) During his complete service when and how many times LTC was claimed and payment made.

(b) How much payment was made to him each time?

(c) Copy of LTC bill along with copies of Rail/Bus tickets.

2- Copy of service book alongwith all enclosures of Mr. Kanchan Singh.

Grounds for the Second Appeal:

The PIO has refused the information under section 8(1)(j) of the RTI Act.

Relevant Facts emerging during Hearing:

The following were present

Appellant: Mr. R.R. Dhiman appellant's representative through VC Respondent: Mr. Harendra Singh CPIO's representative through VC

The appellant's representative stated that the information requested in the RTI application dated 17/08/2012 relating to the LTC claim(s) of Mr. Kanchan Singh has not been provided. The CPIO's representative stated that the information relates to a third party and they had carried out the process as laid down under Section 11 of the RTI Act but the employee has refused to give his consent and hence exemption has been claimed under Section 8(1)(j) of the RTI Act.

Decision notice:

The Commission in the past has held that most transactions in tax payer's money such as salary and wages, allowances and financial benefits such as LTC etc. are in public domain for the reasons that they involve transactions in public funds.

Accordingly, the details about the amounts claimed as LTC, destination, block years for which claims were made, number of persons for whom the claim was made, dates of filing the claim, advance taken if any should be provided to the appellant within 30 days from the date of receipt of this order. However, the other personal details such as the names of family members, their age etc. are personal information and need not be disclosed.

The appeal is disposed of accordingly.

BASANT SETH Information Commissioner

Authenticated true copy:

(A.K.Jha)
Deputy Secretary and Deputy Registrar

At the who with year of the stand of the stand corporation and a stand of the standard the stand limited EMES SPEED POS